(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1901–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 7–12–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 298/अ–6/1998–99 अपील

1– नारायण पुत्र भैयालाल ग्राम जुंगावानी
तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा
2– महिला अन्नावाई पत्नि स्व0 महेश प्रसाद नाय
ग्राम ढाला तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा
3– महिला कैलाशीवाई पुत्री भैयालाल राय
ग्राम सरई तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा ---आवेदकगण

विरूद्ध

बलराम पुत्र शिवदयाल निवासी जुंगावानी
तहसील अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एल0एस0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 1 -3 -2016 को पारित)

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 298/अ–6/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–12–05 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम जुंगवानी स्थित भूमि खसरा नंबर 206 रकबा 9.12 एकड़ का बटवारा आवेदकगण एंव उनके वड़े भाई दादूराम के बीच 1972–73 में हुआ। तद्नुसार बलराम को सर्वे नंबर 206/2 रकबा 4–56 एकड़ पूर्व दिशा में एंव अनावेदक के भाई दादूराम को सर्वे नंबर 206/1 रकबा 4–56 एकड़ पश्चिम की ओर प्राप्त हुआ। अनावेदक ने 24–10–97 को अपने हिस्से की भूमि में से रकबा 2–56 एकड़ अपनी पत्नि के नाम अंतरित की। अनावेदक के भाई ने दिनांक 22–8–84 को अपने हिस्से की भूमि से 2.00 एकड़ भूमि आवेदकगण की मॉ भागवती को विकय की जिसका खसरा नंबर 206/4 हुआ, किन्तु विकय पत्र में अनावेदक ने अपनी भूमि के खसरा नंबर 206/2 लिखाया,

वाद में अपनी भूमि का सीमांकन कराया, जिसमें भूमि का खसरा नंबर 206/2 सही पाया गया। अनावेदक क्र-1 ने नायव तहसीलदार अमरवाड़ा के न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन दिया जो प्रकरण नंबर -अ-6-अ/96-97 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 9-5-97 से विवादित भूमि पर आवेदक क्र-1 नारायण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया गया। अनावेदक ने इस आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा ने प्रकरण क्रमांक 25 अ 6 अ/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-99 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के यहां अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 298/अ-6/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-12-05 से अपील निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि माननीय जिला न्यायाधीश ने पुनरीक्षण क्रमांक 35/92 में पारित आदेश दिनांक 19-3-1993 से अनावेदक बलराम को विवादित भूमि का आधिपत्य सौंपने के आदेश दिये है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 7-12-2005 में हस्तक्षेप किये जाने की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 298/अ-6/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-12-05 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर